

24-5-22 वादी एवं उनके वकील में से कोई
उपास्थित नहीं।

आज अदालत सत्रप में एक-एक
कर तीन बार पृथक-पृथक आवार्जे
लियाये जाने एवं अदालत उठने से
पहले पुनः आवार्ज लियाये जाने के
बिना वादी एवं उसके अधीनस्थक में
से किसी के उपास्थित नहीं होने
पर बाद भद्रम पेंरगी एवं भद्रम
हाजरी में खर्च विवा जला है।
अन्तर्गत फैसल शुध्दा होकर
दाखिल दफ्तर हों।

(सुध्दा तारीख)
अधिकारी कलक्टर
(SDO) बालोडगा

